करेंट अफेयर्स
बिहार
(संग्रह)

जुलाई
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- बिहार कैबिनेट ने प्रमुख योजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की........3
- बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949........5
- बिहार के नए अधिवास नियम........6
- बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण........7
- बिहार आइडिया फेस्टिवल........9
- मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल........11
- बिहार में मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था........12
- IRDAI के नए अध्यक्ष नियुक्त........13
- बिहार पत्रकार सम्मान योजना........14
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त........14
- सतीश प्रसाद सिंह: बिहार के सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री........16
- बिहार के सीताकुंड मेले का प्रबंधन........19
- बिहार में 'राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' का गठन........20
- बिहार में डेयरी और दूध पाउडर संयंत्र की स्थापना........21

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

बिहार

बिहार कैबिनेट ने प्रमुख योजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की

चर्चा में क्यों?

युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में **बिहार मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख पहलों को मंज़ूरी प्रदान की।**

- **इन पहलों में युवा इंटर्नशिप** के लिये वित्तीय सहायता, **कलाकारों के लिये** पेंशन योजना और **पुनौरा धाम के लिये 882 करोड़ रुपए की विकास योजना शामिल है**, जो इस क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदल देगी।

मुख्य बिंदु

- **मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना:**
  - **18-28 वर्ष की आयु के युवा पात्र हैं,** यदि उन्होंने कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या कक्षा 12 से स्नातकोत्तर स्तर तक की योग्यता रखते हैं।
  - **इंटर्नशिप के दौरान मासिक वजीफा:**
    - 12वीं पास के लिये 4,000 रुपए
    - आईटीआई या डिप्लोमा धारकों के लिये 5,000 रुपए
    - स्नातक और स्नातकोत्तर के लिये 6,000 रुपए
  - अपने ज़िले से बाहर काम करने पर प्रशिक्षुओं को 2,000 रुपए प्रति माह तथा बिहार से बाहर काम करने पर 5,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे।
    - यह अतिरिक्त सहायता अधिकतम 3 माह के लिये प्रदान की जाएगी।
  - सभी वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा की जाएगी।
  - यह योजना **वित्त वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं को सहायता प्रदान** करेगी।
  - इसका लक्ष्य 2026-27 से आगे पाँच वर्षों में एक लाख युवाओं को लाभान्वित करना है।
- **मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना:**
  - मंत्रिमंडल ने कम से कम 10 वर्षों से **शास्त्रीय, दृश्य या प्रदर्शन कला में संलग्न कलाकारों के लिये एक नई पेंशन योजना को मंज़ूरी दी।**
  - 50 वर्ष से अधिक आयु के पात्र कलाकारों, जिनकी वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए से कम है, को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
  - इस योजना का उद्देश्य **बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।**
- **पुनौरा धाम विकास:**
  - **कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित माँ जानकी मंदिर** के समेकित विकास के लिये 882.87 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी।
  - माना जाता है कि यह **देवी सीता का जन्म स्थल है, इस स्थल को मिथिला की समृद्ध संस्कृति और विरासत** को प्रदर्शित करने तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
  - **बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम** इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कारखाना/फैक्ट्री रोज़गार नियम संशोधित:**
  - मंत्रिमंडल ने **बिहार कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी।**
  - गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर महिलाएँ अब खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत कारखानों में काम कर सकती हैं।
  - इस कदम का उद्देश्य **महिलाओं के लिये औद्योगिक रोज़गार के अवसरों को व्यापक** बनाना है।

मिथिला

- **भौगोलिक सीमाएँ:**
  - मिथिला, जिसे **तिरहुत या तिरभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है**, एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है।
  - यह पूर्व में **महानंदा नदी**, दक्षिण में **गंगा**, पश्चिम में **गंडकी नदी** और उत्तर में हिमालय की तराई से घिरा है।
  - भारत में, इसमें दरभंगा, मधुबनी, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली जैसे ज़िले और चंपारण, भागलपुर तथा मुंगेर के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- **भाषा और पहचान:**
  - यहाँ की मूल भाषा मैथिली है, जो मैथिल लोगों द्वारा बोली जाती है।
  - ऐसा माना जाता है कि मिथिला नाम पौराणिक राजा मिति से लिया गया है, जो "मृदा (मिट्टी)" का प्रतीक है।
  - मिथिला की प्राचीन राजधानी जनकपुर थी, जो नेपाल के धनुसा ज़िले में स्थित थी।
- **जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंध:**
  - दक्षिणी मिथिला में स्थित वैशाली, **जैन धर्म** के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर (599 ईसा पूर्व) का जन्मस्थान है।
  - ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा मिथिला क्षेत्र में बिताया था, जहाँ उन्होंने उपदेश दिये और विद्वानों से संवाद किया था।
- **समृद्ध सांस्कृतिक विरासत:**
  - मिथिला संस्कृति अपनी भाषा (मैथिली), पाग (पारंपरिक टोपी/हेडगेअर), लोक नृत्य और त्योहारों तथा व्यंजनों के लिये प्रसिद्ध है।
- **मधुबनी पेंटिंग:**
  - **मधुबनी कला**, एक जीवंत लोक चित्रकला परंपरा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं (विशेष रूप से रामायण) के दृश्यों को दर्शाती है।
    - प्रकृति, पशु और सामाजिक जीवन
    - इसमें प्राकृतिक रंगों और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया गया है
    - इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता के लिये इसे **GI (भौगोलिक संकेत)** का दर्ज़ा प्राप्त है।
- **कृषि विशेषता- मिथिला मखाना:**
  - **मखाना**, जिसे **फॉक्स नट** के नाम से भी जाना जाता है, मिथिला की एक प्रमुख जलीय फसल है।
  - **बिहार और नेपाल के आर्द्रभूमियों** में, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।
  - मिथिला मखाना को **GI टैग** भी मिला है, जो इसके आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्व को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) पर विचार करने से मना कर दिया।

- महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में धार्मिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व पर चिंताओं के कारण इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी।

मुख्य बिंदु

- **बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949:**
    - यह महाबोधि मंदिर के प्रशासन को नियंत्रित करता है और इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
    - भारत की **स्वतंत्रता के बाद, बोधगया मंदिर अधिनियम (1949)** ने हिंदुओं और बौद्धों के बीच साझा प्रबंधन की शुरुआत की।
    - यह अधिनियम मंदिर के प्रशासन से संबंधित है, जो पवित्र स्थल के संरक्षण और रखरखाव के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसमें **बोधि वृक्ष, वज्रासन** तथा कई अन्य पवित्र संरचनाएँ शामिल हैं।
- **महाबोधि मंदिर:**
    - इसका निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था।
    - यह **बिहार के बोधगया** में स्थित है और दुनिया भर में बौद्धों के लिये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है।
    - ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को **बोधि वृक्ष** के नीचे **ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।**
    - यह मंदिर पाल काल के दौरान एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थल बना रहा और **629 ई.** में चीनी यात्री **ह्वेन त्सांग** ने भी यहाँ का दौरा किया था।
    - **13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण** के बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया।
    - वर्तमान मंदिर **5वीं-6वीं शताब्दी ई.** (उत्तर गुप्त काल) के दौरान निर्मित है तथा पूर्णत: ईंटों से बना है।
    - 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने **बोधगया मठ की स्थापना की** और मंदिर का नियंत्रण हिंदुओं को सौंप दिया।
    - **वास्तुकला विशेषताएँ:**
        - इसमें एक **शिखर, वज्रासन (डायमंड सिंहासन), चैत्य निचे, आमलक, कलश, गढ़ी हुई कटघरा** और **बुद्ध की छवियाँ शामिल हैं।**
        - मंदिर परिसर के भीतर सात पवित्र स्थल **बुद्ध के** ज्ञान प्राप्ति के बाद के सात सप्ताह के ध्यान की याद दिलाते हैं, जिनमें **अनिमेषलोचन चैत्य, कमल तालाब** और **अजपाल निग्रोध वृक्ष शामिल हैं।**
    - **महाबोधि मंदिर परिसर:**
        - महाबोधि मंदिर परिसर एक **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** है, जिसमें **50 मीटर ऊँचा भव्य मंदिर, पवित्र बोधि वृक्ष, वज्रासन** और बुद्ध के ज्ञान से संबंधित **छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं।**
        - मंदिर के बाहर स्थित कमल तालाब को भी पवित्र माना जाता है। ये स्थल मन्नत स्तूपों से घिरे हुए हैं और **सुरक्षा** के लिये कई गोलाकार सीमाओं के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

गौतम बुद्ध

- बौद्ध धर्म के संस्थापक **गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के** दिन **लुंबिनी** (अब नेपाल में) में **शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था।**
- उनके पिता **शुद्धोधन कपिलवस्तु** के राजा थे और उनकी माता **महामाया कोल्लिय** गणराज्य की राजकुमारी थीं।
- अपनी माँ की असामयिक मृत्यु के बाद, उनका पालन-पोषण उनकी **सौतेली माँ** और चाची **महाप्रजापति गौतमी ने किया।**
- बुद्ध ने **शाक्य वंश** की राजकुमारी **यशोधरा से विवाह किया** और उनका एक पुत्र **राहुल था।**
- 29 वर्ष की आयु में गौतम को चार दृश्य दिखे - एक **बूढ़ा व्यक्ति,** एक **बीमार व्यक्ति,** एक **शव** और एक **तपस्वी** - जिसके कारण उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया तथा एक भ्रमणशील तपस्वी बन गए।
- उनके पहले शिक्षक **अलारा कलामा ने** उन्हें ध्यान तकनीक सिखाई। बाद में उन्होंने **उद्रका रामपुत्र से शिक्षा ली।**
- 35 वर्ष की आयु में, **बोधगया (निरंजना नदी के पास)** में **पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के बाद,** उन्होंने **49 दिनों** के ध्यान के बाद **निर्वाण (ज्ञान) प्राप्त किया।**
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश **सारनाथ** (हिरण पार्क) में पाँच शिष्यों को दिया, जिसे **धर्मचक्र प्रवर्तन** (धर्म का चक्र प्रवर्तन) के नाम से जाना जाता है।
- बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में **483 ईसा पूर्व कुशीनगर** में हुआ, इस क्षण को **महापरिनिर्वाण** (अंतिम निर्वाण) कहा जाता है।
- **मुख्य आँकड़े:**
  - **कंथक:** बुद्ध का घोड़ा।
  - **चन्ना:** उसका सारथी।
  - **देवदत्त:** उसका चचेरा भाई।
  - **सुजाता:** किसान की बेटी जिसने बोधगया में बुद्ध को चावल का दूध अर्पित किया था।
- **अन्य नाम: गौतम** (वंश का नाम), **सिद्धार्थ** (बचपन का नाम), **शाक्यमुनि** (शाक्य वंश के ऋषि)।

बिहार के नए अधिवास नियम

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिये लागू 35% आरक्षण के तहत **स्थानीय निवास नियम** को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, सरकार ने **सरकारी नौकरियों के लिये निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक न होने की पूर्व नीति को समाप्त** कर दिया है।

मुख्य बिंदु

- **नए नियमों के बारे में:**
  - नए नियम के लागू होने के बाद, बिहार की निवासी न होने वाली महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% कोटा नहीं मिलेगा।
  - **बिहार में निवास के लिये पात्रता मानदंड:**
    - राज्य में **कम-से-कम तीन वर्ष तक निवास** किया हो,
    - राज्य में **भूमि या मकान का स्वामित्व** हो, या
    - महिलाओं के मामले में, वे **बिहार निवासी पुरुष से विवाहित** हों।
  - यद्यपि मतदाता पहचान-पत्र **वांछनीय** है, लेकिन अधिवास स्थापित करने के लिये **अनिवार्य नहीं** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- **बिहार में रोज़गार परिदृश्य:**
  - बिहार में राज्य सरकार का कार्यबल **अपेक्षाकृत छोटा** है, जहाँ **सार्वजनिक क्षेत्र** में **राज्य की कुल जनसंख्या के 1.57% से भी कम** लोग कार्यरत हैं।
- **जून 2025 तक:**
  - राज्य में **36,000 महिलाएँ** पुलिस बल में कार्यरत थीं।
  - वर्ष 2007 से अब तक 2.5 लाख से अधिक **महिला शिक्षकों की नियुक्ति** की जा चुकी है।
- **बिहार में संरचनात्मक रोज़गार समस्याएँ:**
  - नीति आयोग की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है, जिसमें:
    - कृषि क्षेत्र में 49.6% कार्यबल कार्यरत है,
    - विनिर्माण क्षेत्र में 5.7% (भारत में सबसे कम में से एक),
    - सेवा क्षेत्र में 26% और
    - निर्माण क्षेत्र में 18.4%.
  - इन **आर्थिक व रोज़गार संबंधी चुनौतियों** के कारण ही **अधिवास-आधारित आरक्षण** की माँग उत्पन्न हुई है।
- **बिहार युवा आयोग:**
  - मंत्रिमंडल ने **युवा रोज़गार** और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंज़ूरी दी है।
  - आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होगी।
  - **कार्य:**
    - आयोग राज्य सरकार को **शिक्षा**, **रोज़गार** और कौशल विकास को बेहतर बनाने के संबंध में **सलाह** देगा।
    - **यह निम्नलिखित विभागों के साथ समन्वय करेगा:**
      - युवाओं के लिये निजी क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना।
      - छात्रों और प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
      - नशामुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण

चर्चा में क्यों ?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नवंबर, 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची का **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- **संवैधानिक अधिदेश:**
  - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा** संसद और **राज्य विधानमंडलों** के चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो,** वोट देने का अधिकार प्रदान करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत कानूनी ढाँचा
- **धारा 16** विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करती है।
- **धारा 19** यह अनिवार्य करती है कि व्यक्ति की आयु *निर्धारित तिथि* को कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिये तथा वह *निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी* होना चाहिये।
- **धारा 20** में **"सामान्य निवासी"** (ordinarily resident) की परिभाषा दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि *सिर्फ किसी क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व होना वहाँ का निवासी होने के लिये पर्याप्त नहीं है।*
  - हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति *अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से अनुपस्थित* है, तो भी उसे सामान्य निवासी माना जाएगा।
- **धारा 21** चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि वह *निर्वाचन सूची का विशेष पुनरीक्षण* किसी भी समय कर सकता है, *यदि वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करता है।*

SIR शुरू करने के कारण:

- पिछले दो दशकों में व्यापक शहरीकरण और आंतरिक प्रवास के कारण चुनावी सूचियों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, ऐसा **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** ने अवलोकन किया है।
- **डुप्लीकेट और अपात्र मतदाता प्रविष्टियों** को लेकर उठी चिंताओं के चलते ECI ने **राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पुनरीक्षण (SIR)** शुरू किया है, जिसकी शुरुआत **बिहार** से की गई है।
- बिहार में पिछली बार विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था और अब इसे **नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों** से पहले इस अभ्यास के लिये प्राथमिकता दी गई है।
- वर्तमान पुनरीक्षण के लिये निर्धारित तिथि **1 जुलाई, 2025** रखी गई है।

SIR के लिये संशोधित प्रक्रिया:

- **वर्ष 2003 से पहले नामांकित मतदाताओं** को केवल **वर्ष 2003** की सूची का एक अंश प्रस्तुत करना होगा।
- **वर्ष 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं** को अपनी और अपने माता-पिता की **जन्मतिथि** तथा **स्थान को प्रमाणित करने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़** प्रस्तुत करने होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्देश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता सत्यापन के लिये **स्वीकार्य 11 दस्तावेज़ों** की भारत निर्वाचन आयोग की सूची संपूर्ण नहीं है।
- न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को सलाह दी कि वह चालू SIR में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, **निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (EPIP)** और **राशन कार्ड** पर विचार करे।

ECI का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण:

- नागरिकता के प्रश्नों का निर्धारण करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के पास संवैधानिक या वैधानिक अधिकार का अभाव है।
- नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है।
- ***लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी*** (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मतदाता सूची में पहले से सूचीबद्ध व्यक्तियों से उनकी नागरिकता पुन: साबित करने के लिये नहीं कहा जा सकता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **SIR से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **विशेष पुनरीक्षण (SIR)** के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब *आधार मौजूद होने पर भी अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता* होती है, जिससे कई पात्र नागरिकों के बाहर होने की आशंका है।
  - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA)** के अनुसार, केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जो उस क्षेत्र में *सामान्य निवासी (ordinarily resident)* हों।
  - जो प्रवासी **काम या शिक्षा** के लिये स्थायी रूप से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, वे अपने *वर्तमान निवास स्थान* पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
  - हालाँकि, **SIR प्रक्रिया में नागरिकों पर ही अपने पात्र होने का पूरा प्रमाण देने की ज़िम्मेदारी** डाली गई है।
  - **बिहार सरकार के एक सर्वेक्षण** के अनुसार, जहाँ **87% लोगों के पास आधार कार्ड** है, वहीं **केवल 14% के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र** तथा **सिर्फ 2% के पास पासपोर्ट** है।
  - **मान्य दस्तावेज़ों की सूची से आधार को बाहर करने** का निर्णय *गरीब और हाशिये पर मौजूद समुदायों* को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है।

बिहार आइडिया फेस्टिवल

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने ज़मीनी स्तर पर **नवाचार एवं उद्यमिता** को प्रोत्साहित करने हेतु **'बिहार आइडिया फेस्टिवल' पोर्टल** का शुभारंभ किया है।

- यह पहल छात्रों, युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप टीमों, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी, को अपने विचार सीधे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती है।

मुख्य बिंदु

- **बिहार आइडिया फेस्टिवल के बारे में:**
  - इस पहल का उद्देश्य पूरे राज्य से **नवीन विचारों और व्यावहारिक समाधानों** को एकत्र कर उन्हें समर्थन तथा संवर्द्धन हेतु एक मज़बूत मंच प्रदान करना है।
  - यह **मोबाइल अनुकूल पोर्टल** विशेष रूप से **दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों** के उपयोगकर्त्ताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिससे वे इसे आसानी से उपयोग कर सकें।
  - सरकार की योजना है कि राज्य के सभी 38 ज़िलों से कम-से-कम 10,000 विचार एकत्र किये जाएँ, ताकि **समावेशी भागीदारी** सुनिश्चित की जा सके।
  - **विशेषज्ञों की एक टीम** इन विचारों का **मूल्यांकन** करेगी और **नवाचार** व **व्यवहार्यता** के आधार पर प्रारंभ में **कम-से-कम 100 विचारों** का चयन किया जाएगा।
  - चयनित प्रतिभागी, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जिसमें **बिहार स्टार्टअप नीति** के तहत **10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग** भी सम्मिलित है।
  - आइडिया फेस्टिवल के विजेताओं को सीड फंडिंग पिच राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण भी है, जिससे वे '**स्टार्टअप दीदी**' के रूप में उभर सकें, जैसा कि जीविका पहल के माध्यम से अनेक महिलाएँ प्रेरित हुई हैं।

- **जीविका (JEEViKA) पहल:**
  - **जीविका**, बिहार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी।
  - इस परियोजना का प्रबंधन **बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन सोसाइटी (BRLPS)** द्वारा किया जाता है, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है।
  - **प्रारंभिक चरण** में यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित थी। इसके पश्चात इसमें बिहार कोसी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना (BK-FRP) के आजीविका पुनर्स्थापन घटक को भी जोड़ते हुए इसका विस्तार किया गया।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिये **BRLPS** को बिहार का **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)** नामित किया गया है।

बिहार स्टार्टअप नीति

- राज्य सरकार ने वित्त पोषण, प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन के माध्यम से एक पारदर्शी एवं स्वतंत्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु वर्ष 2016 में **बिहार स्टार्टअप नीति** की शुरुआत की।
  - बाद में इसे **बिहार स्टार्टअप नीति 2017** के रूप में **संशोधित** किया गया।
- राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ एक समर्पित **स्टार्टअप ट्रस्ट** की स्थापना की, जो इस नीति के **क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी** के रूप में कार्य करता है।
- **बिहार स्टार्टअप नीति 2022:**
  - पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक समावेशी तथा युवा-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने **बिहार स्टार्टअप नीति 2022** को मंज़ूरी दी।
  - इसका उद्देश्य अपनी पहुँच का विस्तार करना, **तेज़ी से क्रियान्वयन** सुनिश्चित करना तथा **स्थानीय प्रतिभा की क्षमता** का उपयोग करते हुए बिहार को एक पसंदीदा स्टार्टअप गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **स्टार्टअप के लिये अनुकूल वातावरण का** निर्माण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
  - राज्य में **नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने** के लिये स्थानीय युवा क्षमता का लाभ उठाना।
  - **सरकार की योजना है:**
    - **नए इनक्यूबेटरों का विकास** करना और **मौजूदा इनक्यूबेटरों का विस्तार** करना।
    - पूरे राज्य में **स्टार्टअप को समर्थन देने** के लिये बुनियादी ढाँचा तथा **सह-कार्यशील स्थानों** की स्थापना करना।
  - उद्यमशीलता की मानसिकता को पोषित करने के लिये नीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है:
    - **उद्यमिता विकास केंद्र (EDC)** और **उद्यमिता सुविधा केंद्र (EFC)**। **स्कूलों**, विश्वविद्यालयों, **MOOCs** तथा इंटर्नशिप के माध्यम से **उद्यमिता शिक्षा का एकीकरण**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल

चर्चा में क्यों ?

बिहार सरकार 1.67 करोड़ परिवारों को **125 यूनिट मुफ्त बिजली** देगी और उपभोक्ताओं की सहमति से अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी।

मुख्य बिंदु

घोषणा के मुख्य अंश:

- **मुफ्त बिजली योजना:**
  - 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक **मुफ्त बिजली** दी जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को **आर्थिक राहत** मिलेगी।
- **वित्तीय प्रभाव:**
  - इस योजना से राज्य सरकार पर लगभग **3,375 करोड़ रुपए** का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस पूरी पहल के लिये लगभग **19,370 करोड़ रुपए** की सब्सिडी की आवश्यकता होगी।
- **सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना:**
  - अगले तीन वर्षों में, घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से, राज्य सरकार छतों और आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर **सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित** करने की भी योजना बना रही है।
  - इस पहल का उद्देश्य स्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान करना तथा पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
- **वित्तीय सहायता:**
  - बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना के तहत **अत्यंत गरीब परिवारों** के लिये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगी।
    - अन्य उपभोक्ताओं के लिये सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- **सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य:**
  - अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक **सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी**, जो राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा।

कुटीर ज्योति योजना

- यह भारत में एक **सरकारी पहल** है, जिसका मुख्य उद्देश्य **गरीबी रेखा से नीचे (BPL)** रहने वाले ग्रामीण परिवारों को **बिजली उपलब्ध** कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- वित्त वर्ष 1988-89 में केंद्र द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को एकल-बिंदु विद्युत कनेक्शन (single-point light connections) प्रदान करना था, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और जनजातीय समुदायों के परिवार भी शामिल थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बिहार में मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी **मतदान केंद्रों पर 1,200 से कम मतदाता हों,** जो मतदाता सुविधा और चुनावी सुगम्यता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।

- यह कदम **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** द्वारा देश में मतदान केंद्रों को पुनर्व्यवस्था के व्यापक प्रयास के अनुरूप है, विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनावों और प्रस्तावित **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना** के संदर्भ में।

मुख्य बिंदु

मतदान केंद्र पुनर्व्यवस्था के बारे में

- **प्रति बूथ संशोधित मतदाता सीमा:**
  - जून 2025 के **राज्य अनुदेशात्मक प्रतिनिधित्व (SIR) आदेश** ने मतदाताओं की भीड़ को कम करने के लिये वर्ष 2009 के मानक को पलटते हुए प्रति मतदान केंद्र **मतदाताओं की अधिकतम संख्या** को **1,500 से घटाकर** 1,200 कर दिया।
- **मतदान केंद्रों में वृद्धि:**
  - बिहार में **12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए,** जिससे **कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर** 90,712 हो गई। इस प्रयास से सभी मतदान केंद्र मतदाताओं के 2 किमी के दायरे में आ गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच में सुधार हुआ है।
- **समावेशी मतदाता पंजीकरण अभियान:**
  - निर्वाचन अधिकारियों ने **12 राजनीतिक दलों** के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित सूचियाँ साझा कीं
  - **29.62 लाख मतदाता** जिनके फॉर्म लंबित हैं,
  - **43.93 लाख मतदाता** अपने पंजीकृत पते पर अनुपलब्ध पाए गए।
- **मसौदा मतदाता सूची समयरेखा:**
  - मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद मतदाता SIR आदेश के अनुसार एक महीने के लिये दावे, आपत्तियाँ या सुधार प्रस्तुत कर सकेंगे।

चुनावी प्रबंधन पर प्रभाव

- **एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) पर प्रभाव:**
  - मतदाता सीमा को युक्तिसंगत बनाने से **ONOE** की व्यवस्था प्रभावित होगी, विशेष रूप से **EVM-VVPAT** और **मतदान कर्मियों** की आवश्यकता पर असर पड़ेगा।
  - भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहले वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराने के लिये 13.57 लाख से अधिक बूथों और 7,950 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **न्यायिक हस्तक्षेप से सुधार को बढ़ावा:**
  - **दिसंबर 2024** में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में लंबी कतारों और मतदाताओं की उदासीनता का हवाला देते हुए 1,200 मतदाताओं की सीमा को वापस लाने की मांग की गई थी।
  - चुनाव आयोग का यह सुधार 1,500 मतदाताओं की सीमा के अंतर्गत मतदाता असुविधा और अकुशलता के बारे में न्यायालय की चिंताओं के अनुरूप है।
- **बूथ आकार मानदंडों का ऐतिहासिक विकास:**
  - वर्ष 2009 से पहले: प्रति केंद्र 1,200 मतदाता (मानक)।
  - EVM के बाद (2009): सीमा को 1,500 तक बढ़ा दिया गया।
  - कोविड के दौरान: सीमा को 1,000-1,200 तक कम किया गया।
  - वर्ष 2024 के आम चुनाव: सीमा पुन: 1,500 किया गया।
  - वर्ष 2025 के बाद: बिहार से शुरुआत करते हुए, पुन: देश में 1,200 किया गया है।
- **सुधार का महत्त्व**
  - **अन्य राज्यों के लिये उदाहरण:** चुनाव आयोग ने बिहार की पहल को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये एक **आदर्श** बताया है। आगामी चुनावों से पहले इस सीमा को लागू करने के लिये **देश में 3 लाख से ज़्यादा नए बूथों** की ज़रूरत पड़ सकती है।
  - **प्रशासनिक और वित्तीय बोझ:** इस परिवर्तन से चुनाव संबंधी बुनियादी ढाँचे की लागत बढ़ेगी, साथ ही **EVM**, **VVPAT** और **कार्मिकों** की माँग भी बढ़ेगी।
  - **चुनावी लोकतंत्र को मज़बूत करना:** इन परिवर्तनों का उद्देश्य मतदाता भागीदारी की गुणवत्ता को बढ़ाना, मताधिकार से वंचितता को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक **पात्र मतदाता पंजीकृत** हो तथा **आसानी से मतदान** कर सके।

IRDAI के नए अध्यक्ष नियुक्त

चर्चा में क्यों?

पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव **अजय सेठ** को भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया **अध्यक्ष** नियुक्त किया गया है, जो **देबाशीष पांडा** का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो गया।

- यह नियुक्ति, जिसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा **अनुमोदित** किया गया है, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा सेठ की आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, के लिये की गई।

मुख्य बिंदु

IRDAI के बारे में:

- **परिचय:**
  - **वर्ष** 1999 में स्थापित यह एक **विनियामक निकाय** है, जिसे बीमा ग्राहकों के हितों की **सुरक्षा** के उद्देश्य से गठित किया गया था।
  - यह **IRDAI अधिनियम, 1999** के तहत एक वैधानिक निकाय **है** तथा यह **वित्त मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह निकाय **बीमा उद्योग** का नियमन करता है और उसके समुचित **विकास** को सुनिश्चित करते हुए बीमा से संबंधित गतिविधियों की **निगरानी** करता है।
- इस प्राधिकरण की **शक्तियाँ और कार्य** IRDAI अधिनियम, 1999 तथा बीमा अधिनियम, 1938 में निर्दिष्ट हैं।

- **अध्यक्ष और सदस्य:**
  - IRDAI अधिनियम, 1999 की **धारा 4** के अनुसार, प्राधिकरण में कुल **दस सदस्य** होते हैं, जिनमें एक **अध्यक्ष**, पाँच **पूर्णकालिक सदस्य** तथा चार **अंशकालिक सदस्य** शामिल होते हैं। ये सभी सदस्य **सरकार द्वारा नियुक्त** किये जाते हैं।

बिहार पत्रकार सम्मान योजना

चर्चा में क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री **नीतीश कुमार** ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना (BPSS) के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिये पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन में वृद्धि**
  - BPSS के तहत मासिक **पेंशन** 6,000 रुपए से बढ़ाकर **15,000 रुपए** कर दी गई है।
  - **पेंशनभोगी** की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों/जीवनसाथी को अब **10,000 रुपए प्रति माह** मिलेंगे, जो पहले **3,000 रुपए** थे।
  - इस योजना में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में **पत्रकारों** की **महत्त्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता दी गई तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी **गरिमा** के प्रति राज्य की **प्रतिबद्धता** दोहराई गई।
- **पत्रकारों की पात्रता**
  - संशोधित पेंशन बिहार सरकार के साथ पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों पर लागू होती है, जो योजना के तहत निम्नलिखित **पात्रता मानदंडों** को पूरा करते हैं:
    - आवेदक बिहार का **निवासी** होना चाहिये।
    - पत्रकारिता में **20 वर्ष का अनुभव** रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार पात्र हैं।
    - योजना का लाभ उठाने के लिये आवेदक की आयु **60 वर्ष** होनी चाहिये।
    - पत्रकार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) द्वारा **मान्यता प्राप्त** होना चाहिये तथा **प्रमाण-पत्र** राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

बिहार के राज्यपाल ने **न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली** को **पटना के राजभवन** में **पटना** उच्च न्यायालय के **45वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ दिलाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उन्होंने **न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन** का स्थान लिया, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में **पदोन्नत** किया गया था। इससे पहले, **न्यायमूर्ति विपुल पंचोली** ने **गुजरात उच्च न्यायालय** में **अधिवक्ता** के रूप में तथा **गुजरात उच्च न्यायालय** और **पटना उच्च न्यायालय** दोनों में **न्यायाधीश** के रूप में कार्य किया था।

मुख्य बिंदु

पटना उच्च न्यायालय के बारे में

- **निर्माण:**
  - **पटना उच्च न्यायालय** की स्थापना वर्ष 1912 में **भारत के गवर्नर-जनरल** द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी, जिसने **बिहार और उड़ीसा** को एक **अलग प्रांत** का दर्जा दिया।
  - इस उच्च न्यायालय भवन की **आधारशिला 1 दिसंबर 1913** को भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल **लॉर्ड हार्डिंग** द्वारा रखी गई थी।
    - इस उच्च न्यायालय के **पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर** थे, जिन्होंने मार्च 1916 से अक्तूबर 1917 तक कार्य किया।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - **वर्ष** 1950 में भारत के **गणतंत्र बनने** के बाद, **पटना उच्च न्यायालय** का **अधिकार क्षेत्र** बढ़ा दिया गया, जिससे उसे भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत रिट जारी करने की अनुमति मिल गई।
  - स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश **सर क्लिफोर्ड मोनमोहन अग्रवाल** थे, जिन्होंने **जनवरी 1948 से जनवरी 1950** तक कार्य किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति

- **संरचना:**
  - प्रत्येक **उच्च न्यायालय** में एक **मुख्य न्यायाधीश** और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य **न्यायाधीश** होते हैं।
  - राष्ट्रपति, **उच्च न्यायालय के कार्यभार** के आधार पर उसके **सदस्यों की संख्या** निर्धारित करते हैं।
- **नियुक्ति:**
  - **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश की नियुक्ति **संविधान के अनुच्छेद 217** के तहत **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
  - **मुख्य न्यायाधीश** की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश** और **संबंधित राज्य के राज्यपाल** के **परामर्श** के बाद की जाती है।
  - न्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** से भी परामर्श किया जाता है।
    - **दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय** होने की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के **राज्यपालों** से परामर्श किया जाता है।
  - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को शपथ उस राज्य के **राज्यपाल** द्वारा दिलाई जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **योग्यताएँ:**
  - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित **योग्यताएँ** होनी चाहिये:
    - वह **भारत का नागरिक** होना चाहिये।
    - उसे भारत के क्षेत्र में **दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य** करना चाहिये, या
    - उसे **दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों)** में **अधिवक्ता** होना चाहिये।
- **न्यूनतम आयु:**
  - संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
- **न्यायाधीशों का कार्यकाल:**
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रह सकते हैं।**

भारत में उच्च न्यायालय

- **स्थिति:**
  - भारत की **न्यायिक प्रणाली** में **उच्च न्यायालय**, **सर्वोच्च न्यायालय** से नीचे तथा **अधीनस्थ न्यायालयों** से ऊपर कार्य करता है।
  - **उच्च न्यायालय** राज्य का **सर्वोच्च न्यायिक निकाय** है। *(भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं)*।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:**
    - भारत का **संविधान**, प्रत्येक राज्य के लिये एक **उच्च न्यायालय** का प्रावधान करता है (**अनुच्छेद 214**)।
  - **संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 231** में प्रावधान है कि **संसद**, कानून द्वारा **दो या अधिक राज्यों** के लिये अथवा **दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित क्षेत्र** के लिये एक **उच्च न्यायालय** की स्थापना कर सकती है।
  - क्षेत्राधिकार:
    - **प्रादेशिक क्षेत्राधिकार** राज्य के **क्षेत्राधिकार** के साथ **सह-समाप्त** होता है (या एक सामान्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के साथ **सह-समाप्त** होता है)।
  - **अनुच्छेद 214 से 231:**
    - ये अनुच्छेद **उच्च न्यायालयों के संगठन**, **स्वतंत्रता**, **अधिकार क्षेत्र**, **शक्तियों** और **प्रक्रियाओ** से संबंधित हैं।

सतीश प्रसाद सिंह: बिहार के सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों ?

जैसे-जैसे बिहार **2025 के** विधानसभा **चुनावों** की ओर बढ़ रहा है, राज्य के **राजनीतिक इतिहास** पर पुन: चर्चा हो रही है, विशेष रूप से इसके **प्रमुख नेताओं** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- इन्हीं में से एक **सतीश प्रसाद सिंह**, जो बिहार के **छठवें** मुख्यमंत्री थे, अपने **सबसे कम कार्यकाल** के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने केवल **4 दिन तक** मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य बिंदु

- **मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल:**
  - **सतीश प्रसाद सिंह** ने मात्र **चार दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री** पद पर कार्य कर इतिहास रच दिया। उन्होंने **28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968** तक यह पद संभाला।
  - उनका कार्यकाल **राजनीतिक अस्थिरता** से चिह्नित रहा और उन्हें **बी.पी. मंडल** के उदय से पूर्व **अंतरिम मुख्यमंत्री** के रूप में नियुक्त किया गया था।
- **राजनीतिक शुरुआत:**
  - **खगड़िया** में जन्मे **सतीश प्रसाद सिंह** कम उम्र से ही समाजवादी विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित थे।
  - उनका राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय और **किसानों के हितों के प्रति समर्पण** से प्रेरित रहा।

सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री

- **नीतीश कुमार** वर्तमान में बिहार के **सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री** हैं। वर्ष 2025 तक उनका कुल कार्यकाल **18 वर्ष से अधिक** का हो चुका है।
- उन्होंने **श्रीकृष्ण सिंह** का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने **17 वर्ष एवं 52 दिन** तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था।
- **सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल:**
  - इस श्रेणी में रिकॉर्ड अब भी **श्रीकृष्ण सिंह** के नाम है, जिन्होंने लगातार **14 वर्ष एवं 314 दिन** तक मुख्यमंत्री पद पर सेवा दी।
  - **नीतीश कुमार** का सबसे लंबा सतत् कार्यकाल **8 वर्ष एवं 239 दिन** (2005–2014; बीच में **जीतन राम माँझी** द्वारा संक्षिप्त कार्यकाल) रहा है।
- **अधिकतम शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री:**
  - **नीतीश कुमार** ने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की **9 बार शपथ ली है**, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया **सर्वाधिक शपथ ग्रहण** है।
- **राष्ट्रपति शासन**
  - बिहार में राज्य के गठन के बाद से अब तक **8 बार** राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
  - कुल मिलाकर राज्य में अब तक **37 कार्यकाल** हो चुके हैं, जिनमें ये **8 राष्ट्रपति शासन अवधि** शामिल हैं।

नोट:

- **भारत सरकार अधिनियम, 1935** के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को **मुख्यमंत्री** नहीं बल्कि **प्रधानमंत्री या प्रीमियर** कहा जाता था।
- **मोहम्मद युनुस** (1 अप्रैल 1937 – 19 जुलाई 1937) बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने **109 दिन तक** मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के तहत यह पद संभाला।
  - उल्लेखनीय है कि वे **पूरे ब्रिटिश भारत** में इस पद की शपथ लेने वाले **पहले व्यक्ति** थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची (1947-2025)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	राजनीतिक दल/गठबंधन
1	श्री कृष्ण सिन्हा	15 अगस्त 1947– 31 जनवरी 1961	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
2	दीप नारायण सिंह	1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
3	बिनोदानंद झा	18 फरवरी 1961 – 2 अक्तूबर 1963	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
4	कृष्ण बल्लभ सहाय	2 अक्तूबर 1963 – 5 मार्च 1967	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
5	महामाया प्रसाद सिन्हा	5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968	जन क्रांति दल
6	सतीश प्रसाद सिंह	28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968	शोषित दल
7	बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल)	1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968	शोषित दल
—	राष्ट्रपति शासन	29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969	—
8	हरिहर सिंह	26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
9	भोला पासवान शास्त्री	22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
—	राष्ट्रपति शासन	4 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970	—
10	दरोगा प्रसाद राय	16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
11	कर्पूरी ठाकुर	22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971	संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
12	भोला पासवान शास्त्री	2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
—	राष्ट्रपति शासन	9 जनवरी 1972 – 19 मार्च 1972	—
13	केदार पांडे	19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
14	अब्दुल गफूर	2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
15	जगन्नाथ मिश्रा	11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
—	राष्ट्रपति शासन	30 अप्रैल 1977 – 24 जून 1977	—
16	कर्पूरी ठाकुर	24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979	जनता पार्टी
17	राम सुंदर दास	21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980	जनता पार्टी (सेक्युलर)
—	राष्ट्रपति शासन	17 फरवरी 1980 – 8 जून 1980	—
18	जगन्नाथ मिश्रा	8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
19	चंद्रशेखर सिंह	14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

20	बिंदेश्वरी दुबे	12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
21	भागवत झा आज़ाद	14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
22	सत्येंद्र नारायण सिन्हा	11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
23	जगन्नाथ मिश्रा	6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990	भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस
24	लालू प्रसाद यादव	10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995	जनता दल
—	राष्ट्रपति शासन	28 मार्च 1995 – 5 अप्रैल 1995	—
25	लालू प्रसाद यादव	5 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997	जनता दल/राष्ट्रीय जनता दल
26	राबड़ी देवी	25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999	राष्ट्रीय जनता दल
—	राष्ट्रपति शासन	11 फरवरी 1999 – 9 मार्च 1999	—
27	राबड़ी देवी	9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000	राष्ट्रीय जनता दल
28	नीतीश कुमार	3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000	समता पार्टी
29	राबड़ी देवी	11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005	राष्ट्रीय जनता दल
—	राष्ट्रपति शासन	7 मार्च 2005 – 24 नवंबर 2005	—
30	नीतीश कुमार	24 नवंबर 2005 – 17 मई 2014	जनता दल (यूनाइटेड)
31	जीतन राम मांझी	20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015	जनता दल (यूनाइटेड)
32	नीतीश कुमार	22 फरवरी 2015 – 20 नवंबर 2015	जनता दल (यूनाइटेड)
33	नीतीश कुमार	20 नवंबर 2015 – 26 जुलाई 2017	जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन
34	नीतीश कुमार	27 जुलाई 2017 – 16 नवंबर 2020	जनता दल (यूनाइटेड) - NDA
35	नीतीश कुमार	16 नवंबर 2020 – 9 अगस्त 2022	जनता दल (यूनाइटेड) - NDA
36	नीतीश कुमार	10 अगस्त 2022 – 28 जनवरी 2024	जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन
37	नीतीश कुमार	28 जनवरी 2024 – वर्तमान	जनता दल (यूनाइटेड) - NDA

बिहार के सीताकुंड मेले का प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

बिहार के मुंगेर में **सीताकुंड मेला**, जो राज्य के सबसे **प्रतिष्ठित धार्मिक**, सांस्कृतिक और पर्यटन आकर्षणों में से एक है, का प्रबंधन अब **बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2008** के तहत **बिहार राज्य मेला प्राधिकरण** द्वारा किया जाएगा, ताकि मेले के **संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके** और क्षेत्र में इसका **महत्त्व बढ़ाया जा सके**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य बिंदु

मेले के बारे में:

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व:**
  - सीताकुंड मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा (जनवरी अंत या फरवरी) से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा (आमतौर पर मार्च) तक आयोजित होता है, जिसमें **मुंगेर और आस-पास के ज़िलों** से **लाखों लोग** आते हैं।
  - प्रत्येक वर्ष लगभग **5,000 विदेशी पर्यटक** भी पूजा और पर्यटन के उद्देश्य से मंदिर में आते हैं।
- **सीताकुंड का धार्मिक महत्त्व:**
  - गंगा नदी के तट पर स्थित **सीताकुंड** वह स्थल माना जाता है, जहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी।
  - यहाँ पाँच **पवित्र कुंड** स्थित हैं, जिनमें से एक कुंड से निरंतर **गरम जल** बहता है, जो सीता की पवित्रता की अग्नि परीक्षा का प्रतीक है, जबकि अन्य चार कुंडों में **ठंडा जल** रहता है।
- **मेला प्रबंधन और विकास:**
  - **बिहार राज्य मेला प्राधिकरण** के अंतर्गत आने के कारण मेले को अब **संगठन, आधारभूत संरचना और प्रबंधन** बेहतर होगा।
  - ये मेला न केवल बिहार की **समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** को बढ़ावा देता है, बल्कि **स्थानीय समुदायों के लिये रोज़गार** भी उत्पन्न करता है।

बिहार में 'राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' का गठन

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है।

- यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा उनके **अधिकारों की सुरक्षा** सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा।

मुख्य बिंदु

- **आयोग की संरचना:**
  - आयोग में एक **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष** और **पाँच सदस्य** होंगे, जिनमें एक **महिला** और एक **ट्रांसजेंडर व्यक्ति** शामिल होंगे।
  - इस समावेशी संरचना का उद्देश्य सफाई कार्यों में लगे समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों की चिंताओं का समाधान करना है।
- **प्रमुख कार्य और लक्ष्य:**
  - आयोग सफाई कर्मचारियों के **अधिकारों और कल्याण** पर सुझाव देगा, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगा तथा उनके लाभ के लिये बनाई गई **कल्याणकारी योजनाओं की** समीक्षा एवं कार्यान्वयन करेगा।
  - यह सफाई कर्मचारियों को **सामाजिक और आर्थिक** मुख्य धारा में जोड़ने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **आयोग का अधिकार क्षेत्र:**
  - बिहार में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- बिहार में **19 नगर निगमों** और **8000 से अधिक पंचायतों** सहित **260 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय** हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मी स्वच्छता अभियानों में कार्यरत हैं।

बिहार में डेयरी और दूध पाउडर संयंत्र की स्थापना

चर्चा में क्यों?

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिये, **बिहार के** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में **तीन नए डेयरी संयंत्रों** तथा **दो दूध पाउडर विनिर्माण इकाइयों** की स्थापना की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **नए डेयरी संयंत्र और दूध पाउडर इकाइयाँ**
  - **5 लाख लीटर प्रतिदिन** की संयुक्त क्षमता वाले तीन **डेयरी संयंत्र** दरभंगा, वज़ीरगंज (गया) और गोपालगंज में स्थापित किये जाएंगे।
  - प्रतिदिन **30 मीट्रिक टन** की क्षमता वाले दो **दूध पाउडर विनिर्माण संयंत्र** डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में स्थापित किये जाएंगे।
  - इन संयंत्रों का उद्देश्य **दुग्ध उत्पादों की बढ़ती माँग** को पूरा करना तथा **स्थानीय क्षेत्रों में रोज़गार** उपलब्ध कराना है।
- **कृषि विकास में डेयरी उद्योग की भूमिका**
  - राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्त्ता के रूप में डेयरी के **महत्त्व** और दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
  - नई डेयरी इकाइयाँ सहकारी विस्तार में भी मदद करेंगी और **दूध की गुणवत्ता में सुधार** करेंगी।
- **परियोजना का वित्तपोषण**
  - संयंत्रों का वित्तपोषण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ (COMFED) के माध्यम से किया जाएगा।

बिहार की GDP में क्षेत्रीय योगदान

- **नीति आयोग** के अनुसार, बिहार की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (**GSDP**) **वर्ष** 2012-13 और 2021-22 के बीच **5.0% की औसत दर** से बढ़ी है, जो इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत विकास दर **5.6%** से कम है।
- विगत तीन दशकों में, **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद** में बिहार की हिस्सेदारी **1990-91 में 3.6%** से घटकर **2021-22 में 2.8%** हो गई है।
- **वर्ष 2021-22 में इसकी नाममात्र प्रति व्यक्ति आय**, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का केवल **30%** थी।
- GSVA में **सेवा क्षेत्र** की हिस्सेदारी सबसे अधिक (**57.1%**) है, उसके बाद **कृषि** (**24.3%**) और **उद्योग** (**17.2%**) का स्थान है।
- **वित्त वर्ष** 2021-22 में कुल GSVA (**नाममात्र**) में **कृषि क्षेत्र** की हिस्सेदारी 24.9% थी।
- **वर्ष** 2013-14 **और** 2022-23 के बीच राज्य के **सेवा क्षेत्र**, **उद्योग** तथा **कृषि** में क्रमशः 6.4%, 8.6% एवं 2.6% की वृद्धि हुई।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME